2024:CGHC:48141

प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

विविध अपील क्रमांक 78/2017

1– कर्मचारी राज्य बीमा निगम, द्वाराः शाखा प्रबंधक, स्थानीय कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, पी.एच.ई. कार्यालय के पीछे, प्रथम तल, चक्रधर नगर, रायगढ़, छत्तीसगढ़, जिला: रायगढ़, छत्तीसगढ़।

2– कर्मचारी राज्य बीमा निगम, द्वाराःवसूली अधिकारी, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, रायपुर, छत्तीसगढ़।

3– कर्मचारी राज्य बीमा निगम, द्वाराःउप–निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, रायपुर, कार्यालय क्रमांक 2 एवं 3, वसूली कार्यालय 107, रामनगर रोड, कोटा, रायपुर, छत्तीसगढ़।

4– भारतीय स्टेट बैंक, द्वाराः शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, मुख्य शाखा, रायगढ़, जिला–रायगढ़, छत्तीसगढ़।

... अपीलार्थीगण

विरुद्ध

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

1– मेसर्स नवदुर्गा फ्यूल प्राइवेट लिमिटेड,द्वाराः निमिष गड़ोदिया पिता श्री साबरमल गड़ोदिया, ग्राम सरायपाली, तहसील तमनार, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़।

... प्रत्यर्थी

अपीलार्थीगण की ओर से : श्री प्रणव सक्सेना, अधिवक्ता।

प्रत्यर्थी की ओर से : श्री विवेक त्रिपाठी, अधिवक्ता।

एकल पीठ: माननीय श्री पार्थ प्रतीम साहू, न्यायाधीश

बोर्ड पर आदेश

05/12/2024

1. यह अपील कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (जिसे संक्षिप्त में '1948 का अधिनियम') की धारा 82 के अधीन प्रस्तुत की गई है। इसमें कर्मचारी बीमा न्यायालय–सह–श्रम न्यायालय, रायगढ़, छत्तीसगढ़ द्वारा प्रकरण क्रमांक 18/इएसआई एक्ट/2015 सिविल में दिनांक 4.5.2017 को पारित निर्णय की वैधता और संधारणीयता को चुनौती दी गई है। उक्त निर्णय के माध्यम से, प्रत्यर्थी द्वारा अधिनियम की धारा 77 के अधीन प्रस्तुत आवेदन को स्वीकार किया गया था, और अपीलार्थी को 17,25,469/– रुपये की राशि ,जो उसके द्वारा निकाली गई थी, प्रत्यर्थी के खाते में पुनः जमा करने

का निर्देश दिया गया था। साथ ही, यह भी अभिनिर्धारित किया गया था कि इस राशि पर 9% वार्षिक दर से ब्याज देय होगा।

2. अपीलार्थीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि मल्लिकार्जुन नामक एक व्यक्ति को प्रत्यर्थी द्वारा दिनाँक 16.12.2014 को नियोजित किया गया था, किंतु नियोजन के तुरंत बाद उक्त कर्मचारी का पंजीकरण अपीलार्थी के पास नहीं कराया गया। कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम,1950 (संक्षिप्त में 'विनियम, 1950') के विनियम 11 के अधीन यह प्रत्यर्थी क्रमांक–1 का कर्तव्य था कि वह आवश्यक जानकारी अपीलार्थी को दे और अपने सभी कर्मचारियों का पंजीकरण कराए। उनका तर्क है कि उक्त कर्मचारी मल्लिकार्जुन दिनाँक 22.12.2014 को दुर्घटना का शिकार हुआ और उसे चोटें आईं, जिसकी सूचना प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को दिनाँक 8.1.2015 को दी गई। इस सूचना के आधार पर, अपीलार्थी क्रमांक–1 के शाखा प्रबंधक ने दिनाँक 8.1.2015 को प्रत्यर्थी की इकाई का दौरा किया और जांच की। उन्होंने पाया कि वहां कार्यरत सात कर्मचारियों को नियोजक द्वारा कवर नहीं किया गया था और वे पंजीकृत नहीं थे। अपीलार्थीगण के अधिवक्ता का तर्क है कि उक्त कर्मचारी का नाम विनियम 11 के अधीन दिनाँक 23.12.2014 को पंजीकृत किया गया था, यानी दुर्घटना होने के एक दिन बाद। चूंकि दुर्घटना के दिन कर्मचारी कवर नहीं था, इसलिए 1948 के अधिनियम के अधीन अपीलार्थी की कोई देयता नहीं थी। हालांकि, अधिनियम को एक हितकारी विधि मानते हुए, उन्होंने कर्मचारी के आश्रितों को लाभ प्रदान किया। यह तर्क दिया गया कि चूंकि मल्लिकार्जुन के नियोजन पर कोई विवाद नहीं था, इसलिए उसकी मृत्यु के बाद आश्रितों को लाभ दिया गया। अधिनियम की धारा 68 के प्रावधानों के अधीन यह लाभ/राशि नियोजक/प्रत्यर्थी से वसूल की जा सकती है। तदनुसार, दिनाँक 31.3.2015 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और उसके बाद दिनाँक 27.8.2015 को 17,25,469/– रुपये की वसूली का आदेश पारित किया गया। आदेश दिनाँक 27.8.2015 को कर्मचारी राज्य बीमा न्यायालय/श्रम न्यायालय के समक्ष धारा 77 के अधीन आवेदन प्रस्तुत कर चुनौती दी गई थी। चुनौती का मुख्य आधार यह था कि धारा 45(क) के अधीन राशि का अवधारण किए बिना ही वसूली आदेश पारित कर दिया गया; वसूली आदेश में किसी राशि का उल्लेख नहीं था; और मृतक के परिवार को पहले से संवितरित की गई राशि वसूली योग्य नहीं है।

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. अपीलार्थीगण ने यहाँ अपना जवाब प्रस्तुत किया और विशेष रूप से यह तर्क दिया कि अधिनियम, 1948 की धारा 68 के अधीन वसूली स्वीकार्य है; कर्मचारी का पंजीकरण दुर्घटना के बाद हुआ था, और उन्होंने उक्त आवेदन को खारिज करने की प्रार्थना की। अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने आगे यह तर्क दिया कि कर्मचारी राज्य बीमा न्यायालय ने अधिनियम, 1948 के उपबंधों के विपरीत जाकर यह अवधारित करते हुए आवेदन को स्वीकार किया कि सूचना प्राप्त होने पर अपीलार्थी ने प्रमाणपत्र प्र.पी./3 जारी किया था, कर्मचारी के उपचार की पुष्टि की थी और आगे यह कि अनुलग्नक–पी/2 दिनांक 31.3.2015 के माध्यम से मृतक कर्मचारी के परिवार के सदस्यों को अधिनियम, 1948 के अधीन लाभों का पात्र घोषित किया था। अधिवक्ता ने तर्क दिया कि केवल प्र.पी./2 और प्र.पी./3 जारी

कर देने मात्र से प्रत्यर्थीगण अधिनियम, 1948 के प्रावधानों का पालन करने के अपने दायित्व से मुक्त नहीं हो जाते। कर्मचारी राज्य बीमा विनियम, 1950 के विनियम 11 के अधीन नियोजक द्वारा नियुक्त कर्मचारी का पंजीकरण अनिवार्य है। उन्होंने तर्क दिया कि अपीलार्थीगण ने अधिनियम, 1948 की धारा 68 के प्रावधानों के अनुसार कार्य किया है और मृतक कर्मचारी के परिवार के सदस्यों को लाभ प्रदान किया है, जहाँ उक्त कर्मचारी के नियोजन पर प्रत्यर्थी द्वारा कोई विवाद नहीं किया गया है। कर्मचारी राज्य बीमा न्यायालय द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों के विपरीत हैं; वास्तव में कर्मचारी राज्य बीमा न्यायालय ने साक्ष्यों को गलत तरीके से पठन किया और एक त्रुटिपूर्ण निष्कर्ष पर पहुँची।

4. प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा किए गए तर्कों का विरोध किया और यह तर्क दिया कि आक्षेपित आदेश सुस्थापित है और अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों के उचित विवेचन पर आधारित है। साथ ही, यह आदेश पूर्णतः 1948 के अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप है, अतः इसमें किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

5. यह अपील निम्नलिखित विधि के सारवान प्रश्नों पर सुनवाई हेतु स्वीकार की गई थी:–

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(i) क्या कर्मचारी बीमा न्यायालय का यह निष्कर्ष न्यायोचित था कि यदि नियोजक ने विनियम 14 के अनुसार 10 दिन के भीतर पंजीकरण फॉर्म जमा कर दिया है, तो उसने विनियम 11 का पालन कर लिया है, जो नियोजन में लेने से पूर्व कर्मचारियों के पंजीकरण को अनिवार्य बनाता है?

(ii) क्या कर्मचारी बीमा न्यायालय का यह निर्णय न्यायोचित था कि निगम को धारा 68 के अधीन किसी भी राशि की वसूली करने का कोई अधिकार नहीं है?

(iii) क्या कर्मचारी बीमा न्यायालय का यह अभिनिर्धारित करना न्यायोचित था कि वसूली की कार्रवाई केवल धारा 45क के अधीन पारित आदेश के अनुपालन में ही की जा सकती है, न कि धारा 68 के अधीन किए गए निर्धारण के प्रकरण में?

6. पक्षकारगण के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा कर्मचारी राज्य बीमा न्यायालय के अभिलेख का परिशीलन किया।

7. प्रत्यर्थी द्वारा अधिनियम, 1948 की धारा 77 के अधीन प्रस्तुत आवेदन के परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि उक्त आवेदन में प्रत्यर्थी ने वसूली की कार्यवाही को केवल इस आधार पर चुनौती दी है कि वर्तमान अपीलार्थीगण ने, वहां के अनावेदक क्रमांक 4 (बैंक) के साथ मिलीभगत करके, गारनिशी आदेश के आधार पर ₹17,25,469/– की राशि अवैध और मनमाने ढंग से वसूल की है। मृतक कर्मचारी का समय पर बीमा कराया गया था, इसलिए संदाय आदि अनावेदक द्वारा किया जा रहा है। घोषणा पत्र बिना किसी जांच के निरस्त कर दिया गया था और इसलिए वसूली नोटिस, 1948 के अधिनियम के उपबंधों

के विपरीत होने के कारण निरस्त किए जाने योग्य है। अधिनियम, 1948 की धारा 77 के अधीन प्रस्तुत संपूर्ण आवेदन में, मृतक कर्मचारी की नियुक्ति/सेवा में लिए जाने की तिथि के संबंध में कोई विशिष्ट अभिवचन नहीं किया गया है।

8. उक्त आवेदन के जवाब में, यह विशिष्ट अभिवचन दिया गया है, जो कि विवादित भी नहीं है, कि दो कर्मचारियों का पंजीकरण दुर्घटना की तिथि के बाद हुआ था; पंजीकरण छह महीने बाद हुआ था और चार कर्मचारियों का पंजीकरण दुर्घटना के क्रमशः 5, 6 और 7 दिनों के बाद किया गया था। निरीक्षण के दौरान, सात कर्मचारी बिना पंजीकरण के पाए गए थे और जिनमें से पाँच का पंजीकरण 13.10.2015 तक नहीं किया गया था। प्रत्यर्थी कर्मचारी की ओर से एक राकेश पाण्डेय का परीक्षण किया गया था और उन्होंने अपने साक्ष्य में यह भी कथन किया है कि मृतक कर्मचारी की दुर्घटना की तिथि से पूर्व पंजीकरण नहीं किया गया था। अपने प्रति–परीक्षण में, उन्होंने स्वीकार किया कि दुर्घटना के दिन अजय कुमार तिवारी, श्री भगवत प्रसाद, श्री पलाश हलदार, सूर्यकांत गरई, श्री वसीम अहमद और श्री मल्लिकार्जुन अदेपू दुर्घटनाग्रस्त हुए थे और उन्हें चोटें आई थीं, जिनमें से मल्लिकार्जुन की मृत्यु हो गई थी। उन्होंने इस तथ्य के बारे में अपनी अनभिज्ञता दिखाई कि दिनाँक 8.1.2015 को कर्मचारी राज्य बीमा के अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया गया था; उपरोक्त व्यक्तियों का बीमा दुर्घटना के बाद किया गया था। प्रत्यर्थी–कंपनी के कार्मिक प्रबंधक (साक्षी क्रमांक 2) ने स्वीकार किया था कि उन्होंने अभिलेख में नियुक्ति के संबंध में दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए हैं। उन्होंने आगे स्वीकार किया कि दिनांक 27.8.2015 का नोटिस प्राप्त हुआ था; कर्मचारी राज्य बीमा विभाग के कर्मचारी जांच के लिए दिनाँक 8.1.2015 और 28.5.2015 को आए थे और यह कि 8.1.2015 को जांच के दौरान सात कर्मचारी कर्मचारी राज्य बीमा के साथ पंजीकृत नहीं पाए गए थे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. अभिलेख पर उपलब्ध अभिवचनों और साक्ष्यों से यह निर्विवाद है कि प्रत्यर्थी–नियोजक द्वारा मृतक कर्मचारी का पंजीकरण और बीमा दुर्घटना की तिथि के बाद किया गया था। विनियम, 1950 का विनियम 10 ख कारखानों या स्थापनों के पंजीकरण से संबंधित है। विनियम 11 नियुक्त दिन पर नियोजन में कार्यरत व्यक्तियों द्वारा घोषणा के बारे में बताता है, विनियम 12 नियुक्त दिन के बाद नियुक्त व्यक्तियों द्वारा घोषणा की बात करता है। विनियम, 1950 के विनियम 12(1) के अधीन यह उपबंध है कि नियोजक, ऐसे कारखानों या स्थापनों में किसी भी व्यक्ति को नियोजन में लेने से पहले, उस व्यक्ति से घोषणा के लिए दस्तावेज और सही विवरण प्रस्तुत करने की अपेक्षा करेगा और उसके पश्चात नियोजक घोषणा पत्र में विवरण दर्ज करेगा जिसमें अस्थायी पहचान प्रमाणपत्र शामिल होगा और ऐसे व्यक्ति के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान प्राप्त करेगा तथा फॉर्म को उस पर दिए गए निर्देशानुसार पूर्ण करेगा। विनियम 14 के अधीन कर्मचारी का विवरण प्राप्त करने के बाद, घोषणा पत्र को इन विनियमों के अधीन तैयार किए गए अस्थायी पहचान प्रमाणपत्र को अलग किए बिना, फॉर्म–3 में दो प्रतियों में जवाब के साथ पंजीकृत डाक या संदेशवाहक के माध्यम से उपयुक्त कार्यालय को भेजना होता है। विनियम 15 बीमा संख्या के आवंटन का उपबंध करता है; इसमें यह परिकल्पना की गई है कि विनियम 14 के अधीन अपेक्षित जवाब प्राप्त

होने पर, उपयुक्त कार्यालय तुरंत प्रत्येक व्यक्ति को एक बीमा संख्या आवंटित करेगा, जिसके संबंध में घोषणा पत्र प्राप्त हुआ है, बशर्ते उसे यह न मिले कि उस व्यक्ति को पहले ही बीमा संख्या आवंटित की जा चुकी है।

10. ऊपर संदर्भित उपबंध नियोजक पर यह स्पष्ट दायित्व डालते हैं कि वह किसी व्यक्ति को नियोजित करने से पहले उससे विवरण प्राप्त करे, निर्धारित फॉर्म में उन विवरणों को भरे और बीमा संख्या के आवंटन हेतु उसे उपयुक्त कार्यालय को अग्रेषित करे। वर्तमान प्रकरण में, नियोजक ने मृतक कर्मचारी के नियोजन की तिथि का न तो अभिवचन किया है और न ही उसे सिद्ध किया है। निर्विवाद रूप से, कर्मचारी का पंजीकरण उसके दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद किया गया था। दुर्घटनाजन्य क्षति लगने की तिथि पर, मृतक कर्मचारी पंजीकृत नहीं था और नियोजक द्वारा 1948 के अधिनियम के अधीन उसके बीमा के संबंध में कोई अभिदाय संदाय नहीं किया गया था।

11. प्रकरण के तथ्यों और अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों के अनुसार, प्रत्यर्थी के पास मृतक कर्मचारी का नियोजन भी निर्विवाद है। अधिनियम, 1948 की धारा 2(4) "अभिदाय" से प्रधान नियोजक द्वारा निगम को कर्मचारी की बाबत संदेय धनराशि अभिप्रेत है और कर्मचारी द्वारा या उसकी ओर से इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार संदेय रकम इसके अन्तर्गत आती है; धारा 2(7) "सम्यक् रुप से नियुक्त" को परिभाषित करती है, जिसका अभिप्रेत है इस अधिनियम के उपबंधों या तद्धीन बनाए गए नियमों या विनियमों के अनुसार नियुक्त। वर्तमान प्रकरण में, स्वीकृत रूप से विनियम, 1950 के विनियम 12 और 14 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. अधिनियम, 1948 की धारा 2(8) के अधीन "नियोजन–क्षति" से अपने ऐसे नियोजन से, जो बीमा–योग्य नियोजन हो, और उसके अनुक्रम में उद्भूत दुर्घटना से या उपजीविकाजन्य रोग से कर्मचारी को कारित वैयक्तिक क्षति अभिप्रेत है, चाहे वह दुर्घटना या उपजीविकाजन्य रोग भारत की प्रादेशिक सीमाओं के भीतर हुई हो या लगा हो या बाहर; अधिनियम, 1948 की धारा 2(9) के अधीन "कर्मचारी" शब्द को परिभाषित किया गया है, जिसे सुलभ संदर्भ के लिए नीचे उद्धृत किया गया है:–

> "(9) "कर्मचारी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो किसी ऐसे कारखाने या स्थापन में, जिसे यह अधिनियम लागू है, या उसके काम के संबंध में मजदूरी पर नियोजित है, और–
>
> (i) जो उस कारखाने या स्थापन के किसी काम पर, या उस कारखाने या स्थापन के काम के आनुषंगिक या प्रारम्भिक या उससे सम्बद्ध किसी काम पर, प्रधान नियोजक द्वारा सीधे नियोजित है, चाहे ऐसा काम कर्मचारी द्वारा कारखाने या स्थापन में किया जाता हो या अन्यत्रः अथवा
>
> (ii) जो अव्यवहित नियोजक द्वारा या उसके माध्यम से कारखाने या स्थापन के परिसर में या प्रधान नियोजक या उसके अभिकर्ता के पर्यवेक्षण के अधीन ऐसे काम पर नियोजित है जो मामूली तौर पर कारखाने या स्थापन के काम का भाग है या जो

कारखाने या स्थापन में किए जाने वाले काम का प्रारम्भिक है या उस कारखाने या स्थापन के प्रयोजन का आनुषंगिक है।"

अधिनियम, 1948 की धारा 2(13क) "बीमा–योग्य नियोजन" से किसी ऐसे कारखाने या स्थापन में नियोजन अभिप्रेत है जिसे यह अधिनियम लागू होता है; अधिनियम, 1948 की धारा 2(14) के अधीन "बीमाकृत व्यक्ति" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है, जो ऐसा कर्मचारी है या था जिसकी बाबत इस अधिनियम के अधीन अभिदाय संदेय है या थे और जो इस अधिनियम द्वारा उपबन्धित फायदों में से किसी का उसी कारण हकदार है।

13. अधिनियम, 1948 की धारा 2 के अधीन उपरोक्त संदर्भित परिभाषाओं से, मृतक प्रधान नियोजक का एक कर्मचारी था, वह बीमा–योग्य नियोजन के अधीन था और अधिनियम, 1948 की धारा 2(14) के उपबंध के अनुसार एक बीमाकृत व्यक्ति था,क्योंकि वह एक ऐसा कर्मचारी था जिसकी बाबत अभिदाय संदेय था।

14. प्रकरण के उपरोक्त तथ्यों में, जब सूचना प्राप्त होने के बाद निरीक्षण/जांच की गई और यह पाए जाने पर कि घायल व्यक्ति को प्रत्यर्थी के यहाँ नियोजन के दौरान नियोजन क्षति हुई थी, जो कि विवादित नहीं है, उसे बीमाकृत व्यक्ति माना गया। अपीलार्थीगण ने अधिनियम, 1948 के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार पात्रता के आधार पर मृतक कर्मचारी के परिवार के सदस्यों को संदाय कर दिया है। राशि की मात्रा भी विवादित नहीं है।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

15. वर्तमान अपीलार्थीगण द्वारा अधिनियम, 1948 के अधीन राशि का संदाय करने के बाद, उन्होंने धारा 68 के अधीन प्रधान नियोजक से संदाय की गई राशि की वसूली के लिए एक नोटिस जारी किया। विद्वान कर्मचारी राज्य बीमा न्यायालय ने अधिनियम, 1948 की धारा 77 के अधीन दायर आवेदन को दो आधारों पर स्वीकार किया: पहला यह कि मल्लिकार्जुन का घोषणा पत्र दुर्घटना के 10 दिनों के भीतर भेजा गया है, इसलिए उपचार की पुष्टि के लिए प्रदर्श पी/3 के रूप में प्रमाण पत्र जारी किया गया है और दिनांक 31.2.2015 के नोटिस प्रदर्श पी/2 के माध्यम से स्व.मल्लिकार्जुन के परिवार के सदस्यों को अधिनियम, 1948 के अधीन लाभ का हकदार घोषित किया गया था। यह भी प्रेक्षित किया गया कि यदि प्रधान नियोजक द्वारा अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए विनियमों के प्रावधानों के अनुसार घोषणा और अभिदाय संदायनहीं किया गया होता, तो कर्मचारी राज्य बीमा के शाखा प्रबंधक ने प्रतिकूल टिप्पणी अंकित की होती, इसके बजाय उन्होंने दस्तावेज़ प्रदर्श पी/2 और प्रदर्श पी/3 जारी किए। दूसरा आधार जिस पर विचार किया गया वह यह है कि कोई निर्धारण नहीं किया गया है, इसलिए किसी भी अवधारण के अभाव में, वसूली के लिए अधिनियम, 1948 की धारा 45क(1) के अधीन कोई कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती है।

16. जहाँ तक कर्मचारी राज्य बीमा न्यायालय द्वारा विनियम 14 का संदर्भ देते हुए बताए गए कारण का प्रश्न है, विनियम 14 को विनियम नियमावली, 1950 के विनियम 12 के साथ पठन किया जाना चाहिए।

विनियम नियमावली, 1950 का विनियम 12 स्पष्ट रूप से यह परिकल्पना करता है कि नियोजक को ऐसे कारखानों या प्रतिष्ठानों में किसी व्यक्ति को नियोजन में लेने से पूर्व उससे सही विवरण प्राप्त करने होंगे। वर्तमान प्रकरण में, प्रत्यर्थी द्वारा ऐसा कोई अभिवचन या साक्ष्य अभिलेख पर नहीं लाया गया है कि उस मृतक कर्मचारी की नियुक्ति/नियोजन की तिथि क्या है, जिसे दुर्घटनाजनित क्षति आई थी। अतः, इस संबंध में किसी भी सामग्री और साक्ष्य के अभाव में, कर्मचारी राज्य बीमा न्यायालय ने विनियम नियमावली, 1950 के विनियम 14 के उपबंध को लागू करने और इस निष्कर्ष पर पहुँचने में त्रुटि की है कि सूचना 7 दिन के भीतर दी गई है, जबकि विनियम 10 दिन की अवधि के भीतर का उपबंध करता है। 10 दिन की यह अवधि, सूचना प्राप्त होने और घोषणा पत्र में प्रविष्टि करने के तुरंत बाद, निर्धारित घोषणा पत्र में उपयुक्त कार्यालय को सूचना भेजने के लिए प्रदान की गई है।

17. जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, सूचना ऐसे व्यक्ति/कर्मचारी के नियोजन से पूर्व एकत्र की जानी चाहिए, इसलिए कर्मचारी राज्य बीमा न्यायालय द्वारा इस सीमा तक अभिलिखित निष्कर्ष त्रुटिपूर्ण है और विधि की दृष्टि में संधारणीय नहीं है।

18. जहाँ तक इस तथ्य के संबंध में बताए गए कारण का प्रश्न है कि प्रधान नियोजक द्वारा अपीलार्थीगण के पास अभिदाय और घोषणा केवल कानून के अनुसार जमा की गई थी, यह अपीलार्थीगण द्वारा शुरू की गई उस कार्यवाही पर आधारित है जिसके अधीन यह संतुष्ट होने के बाद कि मृतक कर्मचारी का नियोजन निर्विवाद था,उपचार प्रदान किया गया था। इसके अतिरिक्त, जहाँ तक अधिनियम के अधीन लाभ प्राप्त करने के लिए मृतक कर्मचारी के परिवार के सदस्यों को नोटिस देने का संबंध है, 1948 का अधिनियम एक सामाजिक सुरक्षा विधान है, जो बीमारी, प्रसूति और नियोजन के दौरान हुई क्षति की स्थिति में कर्मचारियों को कुछ लाभ प्रदान करता है। चूँकि प्रकरण के तथ्यों के अनुसार मृतक कर्मचारी 'बीमाकृत व्यक्ति' की परिभाषा के अंतर्गत आता था, इसलिए यह प्रारंभ में अपीलार्थीगण का दायित्व था कि वे 1948 के अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए विनियमों के अंतर्गत कर्मचारी या मृतक कर्मचारी के परिवार के सदस्यों को लाभ प्रदान करें।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

19. माननीय उच्चतम न्यायालय ने **ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया विरुद्ध एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस, ए.आई.आर. 2000 एस.सी. 238** में प्रकाशित प्रकरण में यह अवधारित किया कि कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम का प्रयोजन बीमारी, प्रसूति और नियोजन के दौरान लगी क्षति की स्थिति में कर्मचारियों को लाभ प्रदान करना है। 1948 के अधिनियम की धारा 38 यह अनिवार्य करती है कि कारखानों या प्रतिष्ठानों के सभी कर्मचारी बीमाकृत होंगे। प्राथमिक और महत्वपूर्ण प्रयास बीमा के लिए लाभार्थियों या कर्मचारियों की पहचान करना होना चाहिए।

20. जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, मृतक कर्मचारी बीमाकृत कर्मचारी की परिभाषा के अंतर्गत आएगा और मृतक कर्मचारी के साथ हुई दुर्घटना के पश्चात ही अभिदाय और घोषणा जमा की गई थी।

21. प्रकरण के उपर्युक्त तथ्यों में, विद्वान कर्मचारी राज्य बीमा न्यायालय द्वारा निकाला गया यह निष्कर्ष कि केवल इसलिए कि घोषणा पत्र और अभिदाय संदाय कर दिया गया था, अपीलार्थीगण ने दावे पर कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की है और 1948 के अधिनियम के अधीन लाभ देने की दिशा में आगे बढ़े हैं, इसलिए (निर्गमित) वसूली नोटिस सही नहीं है प्रकरण के तथ्यों में सही प्रतीत नहीं होता है, जहाँ निर्विवाद रूप से मृतक कर्मचारी का अभिदाय दुर्घटना के बाद जमा किया गया था, जिसका अर्थ यह है कि दुर्घटना की तिथि पर वह बीमाकृत नहीं था, बल्कि प्रत्यर्थी का कर्मचारी था; अतः, यह विधि की दृष्टि में संधारणीय नहीं है।

22. जहाँ तक अधिनियम, 1948 की धारा 77 के अधीन आवेदन स्वीकार करने के लिए बताए गए इस कारण का संबंध है कि धारा 45क(1) के अधीन अवधारण नहीं किया गया है, उपर्युक्त उपबंध के परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि यह पूरी तरह से भिन्न विषय से संबंधित है। सुलभ संदर्भ हेतु धारा 45(क) नीचे उद्धृत की गई है:–

> **"145क. कतिपय दशाओं में अभिदायों का अवधारणा –**(1) जहां किसी कारखाने या स्थापन की बाबत कोई भी विवरणियां, विशिष्टियां, रजिस्टर या अभिलेख धारा 44 के उपबन्धों के अनुसार न भेजे जाएं, न दिए जाएं या न रखे जाएं या किसी सामाजिक सुरक्षा अधिकारी या धारा 45 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट निगम के अन्य पदधारी को धारा 45 के अधीन के उसके कृत्यों का प्रयोग करने में या कर्तव्यों का निर्वहन करने में प्रधान या अव्यवहित नियोजक या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी रीति से रोका जाए, तो निगम उस कारखाने या स्थापन के कर्मचारियों की बाबत संदेय अभिदायों की रकम, उसे उपलब्ध जानकारी के आधार पर, आदेश द्वारा अवधारित कर सकेगाः परन्तु निगम द्वारा ऐसे कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कारखाना या स्थापन के प्रधान या अव्यवहित नियोजक या भारसाधक व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर न दे दिया गया हो : पंरतु यह और कि निगम द्वारा उस तारीख से जिसको अभिदाय शोध्य हो जाएगा, पांच वर्ष से परे की अवधि की बाबत ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा।
>
> (2) उपधारा (1) के अधीन निगम द्वारा किया गया आदेश निगम के धारा 75 के अधीन दावे का, या ऐसे आदेश द्वारा अवधारित रकम की धारा 45ख के अधीन भू–राजस्व की बकाया के तौर पर 10 या धारा 45ग से धारा 45झ तक के अधीन वसूली के लिए। पर्याप्त सबूत होगा।

23. धारा 45क का उपबंध वहां प्रभावी होगा जहां किसी कारखानों या स्थापन की बाबत कोई भी विवरणियां, विशिष्टियां, रजिस्टर या अभिलेख धारा 44 के उपबन्धों के अनुसार न भेजे जाएं, न दिए जाएं या न रखे जाएं या किसी सामाजिक सुरक्षा अधिकारी या धारा 45 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट निगम के अन्य पदधारी को धारा 45 के अधीन के उसके कृत्यों का प्रयोग करने में या कर्तव्यों का

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निर्वहन करने में प्रधान या अव्यवहित नियोजक या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी रीति से रोका जाए, 1948 के अधिनियम की धारा 45 क का प्रयोग एक अलग क्षेत्र में होता है। हस्तगत प्रकरण में ऐसा नहीं है कि कोई विवरणियां, विशिष्टियां या अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया था, बल्कि यह एक ऐसा प्रकरण है जहां कुछ कर्मचारियों का अभिदाय संदायनहीं किया गया था और इसलिए इस न्यायालय के अभिमत में, विद्वान कर्मचारी राज्य बीमा न्यायालय ने यह निष्कर्ष अभिलिखित करने में त्रुटि की है कि चूंकि 1948 के अधिनियम की धारा 45 क के अधीन कोई अवधारण नहीं हुआ है, इसलिए दिनांक 27.8.2015 का वसूली नोटिस उचित नहीं है।

24. माननीय उच्चतम न्यायालय ने भरगत इंजीनियरिंग विरुद्ध आर. रंगनायकी व एक अन्य,(2003) 2 एससीसी 138 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:–

> "निगम की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अधिनियम की धारा 2(14) इतनी व्यापक है कि इसमें वह कर्मचारी भी शामिल है जिसकी मृत्यु निगम के पास पंजीकरण होने से पहले ही हो जाती है। उनके अनुसार, इस अधिनियम के अधीन मिलने वाला लाभ कर्मचारी के लिए उस प्रतिकर से अधिक लाभकारी है जो प्रतिकर अधिनियम के अधीन अधिनिर्णीत किया जा सकता है।
>
> दूसरी ओर, दावाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अधिनियम तभी लागू होता है जब व्यक्ति निगम के पास बीमा के प्रयोजन से पंजीकृत हो, और ऐसा नहीं है कि सभी कर्मचारी स्वतः ही बीमाकृत हो जाते हैं। अधिनियम की धारा 38 के अधीन, जो कि एक वैधानिक आवश्यकता है,सभी कर्मचारियों का बीमा किया जाना परिकल्पित है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अधिनियम की धारा 2(14), जो कि महत्वपूर्ण उपबंध है, निम्नानुसार है:

> " "बीमाकृत व्यक्ति" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है, जो ऐसा कर्मचारी है या था जिसकी बाबत इस अधिनियम के अधीन अभिदाय संदेय है या थे और जो इस अधिनियम द्वारा उपबन्धित फायदों में से किसी का उसी कारण हकदार है।"

यह ध्यान देने योग्य है कि अधिनियम की धारा 2(14) में महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति 'संदेय है या थे' है। जिस तिथि से अधिनियम कारखाने या स्थापन पर लागू होता है, उसी तिथि से अभिदाय का संदाय करना नियोजक का दायित्व है। ई.एस.आई. विरुद्ध हैरिसन मलयालम प्राइवेट लिमिटेड, [1993] 4 एससीसी 361 में, नियोजक का यह रुख कि कर्मचारी मिल नहीं रहे हैं या उनके ठिकाने के बारे में विवाद है, नियोजक के अभिदाय संदाय करने के दायित्व को समाप्त नहीं करता है। 5.7 कॉर्पोरेशन विरुद्ध होटल कल्पाका इंटरनेशनल, [1993] 2 एससीसी 9 में, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि नियोजक को यह तर्क देने की अनुमति नहीं दी जा सकती कि चूंकि उसने कर्मचारियों के वेतन से कर्मचारी अभिदाय नहीं काटा था या व्यवसाय बंद हो

गया था, इसलिए उसे उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। यही विचार एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन विरुद्ध हैरिसन मलयालम लिमिटेड, [1998] 9 एससीसी 74 में दोहराया गया था। ऐसी स्थिति होने के कारण, अभिदाय संदाय की तिथि वास्तव में अति महत्वपूर्ण नहीं है। वास्तव में, अधिनियम की धारा 38 नियोजक पर अपने कर्मचारियों का बीमा करने का एक वैधानिक दायित्व अधिरोपित करती है। वैधानिक दायित्व होने के कारण, इसके प्रारंभ होने की तिथि संबंधित कर्मचारी के नियोजन की तिथि से होनी चाहिए।

अधिनियम, नियमों और विनियमों की योजना स्पष्ट रूप से बताती है कि अधिनियम के अधीन कवर किया गया बीमा सामान्य बीमा अनुबंध से अलग और भिन्न है। अधिनियम के अधीन, दुर्घटना, विकलांगता, बीमारी, प्रसूति आदि के प्रकरण में लाभों के वितरण के लिए धारा 26 के अधीन अभिदाय एक निधि में जमा होता है। किया गया आवश्यक अभिदाय वापस नहीं किया जाता है, भले ही कर्मचारी किसी लाभ का उपयोग न करे। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि विनियम 17–क के अधीन, यदि अस्थायी पहचान प्रमाण पत्र जारी होने से पहले चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता होती है, तो नियोजक को नियोजन का प्रमाण पत्र जारी करना आवश्यक है ताकि कर्मचारी उपलब्ध सुविधाओं का लाभ उठा सके। अधिनियम की धारा 2(23), नियमों के नियम 2(IC) और नियम 2(2–क) में वेतन अवधि, लाभ अवधि और अभिदाय अवधि को परिभाषित किया गया है। नियम 58(2)(ख) एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपबंध है। उस व्यक्ति के लिए जो अधिनियम के अर्थ में पहली बार कर्मचारी बनता है, विनियम (4) के अधीन अभिदाय अवधि उस दिन चालू अभिदाय अवधि से शुरू होती है और संबंधित लाभ अवधि उस नियोजन की तिथि से नौ महीने की अवधि समाप्त होने पर शुरू होगी। उन प्रकरणों में जहाँ नियोजन के दौरान हुई क्षति के परिणामस्वरूप प्रथम लाभ अवधि शुरू होने से पहले ही मृत्यु हो जाती है, नियम 58(2Xb)(ii) आश्रित लाभ की गणना की विधि प्रदान करता है। यह प्रथम लाभ अवधि से पहले और प्रथम वेतन अवधि की समाप्ति से पूर्व हुई क्षति के कारण कर्मचारी की मृत्यु होने की स्थिति में आश्रित लाभों की गणना का उपबंध करता है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

25. पूर्वगामी विश्लेषण के आधार पर, विधि के सारवान प्रश्न क्रमांक 1, 2 व 3 का उत्तर नकारात्मक में दिया जाता है।

26. उपर्युक्त विश्लेषण और माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के आलोक में, आक्षेपित आदेश संधारणीय नहीं है एवं अपास्त किए जाने योग्य है।

27. तदनुसार, अपील स्वीकार की जाती है एवं आक्षेपित आदेश को एतद्द्वारा अपास्त किया जाता है। वाद–व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं।

सही/–

(पार्थ प्रतीम साहू)

न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवाहरिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur